न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –49/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/60

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मूलाराम पुत्र सीताराम जाति मेघवाल, निवासी रेण, तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज0		तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री अशोक कुमार वैष्णव।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 20-09-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 31/2020 सरकार बनाम मूलाराम में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.02.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट की पीठ पिछे, उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया था, जिसकी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आकर उक्त निर्णय के बारे में बताया व अपीलान्ट को कदीमी उसकी कब्जासुदा भूमि से बेदखल करने का कहा, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 2.2.2022 को अधिनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया व नकलों का आवेदन पेश कर प्रमाणित प्रतियां उसी दिन प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, तत्पश्चात अपील करने की कानूनी राय मिलने पर दस्तावेज इकट्ठे कर दिनांक 4.2.2022 को नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बताये व सांय तक अपील तैयार हुई। फिर दिनांक 5 व 6.2.2022 को सरकारी अवकाश होने से दिनांक 07.02.2022 को अपील प्रस्तुत की, जो न्यायहित में देरी माफ कर जानकारी की दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने का कथन किया। अपीलान्ट द्वारा के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रेण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध मौजा रेण के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.50 हैक्टयर किस्म बारानी–2 पर संवत 2077 में कब्जा करने की रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता के समक्ष पेश करने पर उक्त मुकदमा दर्ज कर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर अपीलान्ट ने जबाब पेश किया, परन्तु अपीलांट को विधिवत पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसे अतिक्रमी घोषित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने व लगान 3 का 50 गुणा रूपये 150/– रूपये अर्थदण्ड आरोपित करते हुऐ निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता का निर्णय/आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार मेड़ता को सारी स्थिति की जानकारी होते हुऐ भी व राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2021 शंकरलाल बनाम बिड़दाराम वगैरा में पक्षकार होते हुए भी विवादित आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर विधि विरूद्ध निर्णय जैर अपील पारित किया है।

अपीलांट ने जवाब नोटिस पेश कर अधिनस्थ न्यायालय में यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राम रेण के पुराना खसरा नं. 682 रकबा 03 बीघा गेर सायल की खातेदारी की जमीन है, इसी में हमारा पुराना कब्जा रहता चला आ रहा है। इस खसरा नं. 682 का सेटलमेंट के समय हमारे को दुसरी जगह पर खातेदारी कर दी गई और इस खसरा नं. 682 का कुल रकबा 09 बीघा को नया खसरा नं. 36 बना कर सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई थी, इसका पुराना खसरा नं. 682 रकबा 09 बीघा पर शंकरलाल, सीताराम मेघवाल, बिड़दाराम पुत्र मांगुराम, व मूलाराम पुत्र सीताराम मेघवाल तीनो का 3–3 बीधा पर कब्जा काश्त रहता चला आया है। इस कारण हमारा अतिकमण होना नही माना जा सकता है, गलत रिपोर्ट पेश कर नोटिस दिलवाया है। यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा के बाबत माननीय सहायक कलक्टर मेड़ता के न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी जवाब देहिन्दा के पक्ष में दे रखी है। इस प्रकार हमारी पुरानी खातेदारी होने से कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया। तहसीलदार जी ने सभी महत्वपूर्ण तथ्यो की अनदेखी करती हुऐ व बिना किसी अर्जेन्सी के राजस्व वाद विचाराधीन होते हुए भी प्रकरण हाजा में अपीलांट को अतिकमी घोषित कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

अधिनस्थ न्यायालय ने हाल खसरा नं. 36 को पुराने खसरा नं. 682 का भाग नहीं मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है जबकि राजस्व वाद में विधिवत साक्ष्य होकर तनकियात कायम होकर मेरिट पर निर्णय होने से ही सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट होगी, उससे पूर्व ही ऐसी फाईडिंग देने का तहसीलदार जी को कोई विधिक अधिकार नहीं था न है जबकि तहसीलदारजी स्वयं राजस्व वाद में पक्षकार है इसलिए मामला सबज्यूडिश होते हुए भी मूल वाद के निर्णय से पूर्व इस तरह की कार्यवाही में अतिकमी मानकर निर्णय करना कतई विधि सम्मत नहीं होने से निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार जी ने स्वयं के स्तर पर कोई जांच नहीं की है, मामला विधिवत नाप चोप का था, अतिकमण का कोई प्रकरण नहीं बनता है न ही किसी ग्रामवासी की कोई शिकायत रही है। राजस्व वाद में पटवारी ने अपीलांट वगैरा के पक्ष की रिपोर्ट पेश की है व दुसरी तरफ अतिक्रमण की रिपोर्ट करके आदेश पारित करवाया होने से आदेश/निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

मूल राजस्व वाद व उसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है उन्हीं खसरान के अन्तर्गत यह भूमि आती है पक्षकारान के मध्य हस्तगत आराजी बाबत विवाद लम्बित है ऐसी स्थिति में आदेश/निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का के अधिनस्थ न्यायालय में न तो बयान करवाये, न ही उन से जिरह का अपीलांट को अवसर दिया न ही अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य आदि पेश करने का अवसर दिया गया है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील दिनांक 23.2.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि पटवारी रेण द्वारा ग्राम रेण के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.50 किस्म भूमि बारानी–2 पर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण की भू–अभिलेख निरीक्षक रेण द्वारा सत्यापित रिपोर्ट पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि पुराना खसरा नम्बर 682 रकबा 03 बीघा प्रार्थी के खातेदारी की जमीन है। खसरा नम्बर 682 का वक्त सेटलमेन्ट हमारे को दूसरी जगह पर खातेदारी दर्ज कर दी गई और इस खसरा

कलक्टर, नागौर

नम्बर 682 का कुल रकबा 09 बीघा को नया खसरा नम्बर 36 बनाकर सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई। उपरोक्त खसरा नम्बर के बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर मेड़ता के यहां प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी जबाब देहिन्दा प्रार्थी के पक्ष में दे रखी होने का कथन करते हुए प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का रेण से रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी रेण द्वारा दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पुराना खसरा नम्बर 682 के नये खसरा नम्बर 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 व 28 कुल 11 खसरे नये बनाये गये है। वर्तमान खसरा नम्बर 36 का पुराना खसरा नम्बर 656 मी. होना अवगत कराते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 36 की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण होना अवगत करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम रेण के खसरा नम्बर 36 की उक्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन होने बाबत साक्ष्य अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील पूर्णतया विधि सम्मत होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी रेण द्वारा ग्राम रेण के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.50 किस्म भूमि बारानी–2 पर अपीलान्ट द्वारा बाड़ बनाकर लगाकर सवंत् 2077 में अतिक्रमण की भू–अभिलेख निरीक्षक रेण द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा जबाब में कथन किया कि पुराना खसरा नम्बर 682 रकबा 3 बीघा प्रार्थी के खातेदारी की जमीन है। खसरा नम्बर 682 का वक्त सेटलमेन्ट हमारे को दूसरी जगह पर खातेदारी दर्ज कर दी गई और इस खसरा नम्बर 682 का कुल रकबा 09 बीघा को नया खसरा नम्बर 36 बनाकर सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई। उपरोक्त खसरा नम्बर के बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर मेड़ता के यहां प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी जबाब देहिन्दा प्रार्थी के पक्ष में दे रखी होने का कथन करते हुए प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट के उक्त जबाब पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का रेण से रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी रेण द्वारा दिनांक 25.01.2021 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट अनुसार पुराना खसरा नम्बर 682 के नये खसरा नम्बर 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 व 28 कुल 11 खसरे नये बनाये गये है। वर्तमान खसरा नम्बर 36 का पुराना खसरा नम्बर 656 मी. होना अवगत कराते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 36 रकबा 1.65 हैक्टयर सरकारी भूमि में से 0.50 हैक्टयर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ होना अवगत करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–57/2021 शंकरलाल बनाम बिड़दाराम प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2021 के अनुसार मौजा रेण की सरहद में विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 23, 25, 26, 27, की भूमि के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण को बनाये रखने एवं अन्य को हस्तान्तरण नहीं करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम रेण के खसरा नम्बर 36 की विवादित भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर